भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 483
बुधवार, 7 फरवरी, 2024 (18 माघ,1945 (शक)) को उत्तरार्थ

बहु – राज्य सहकारी संस्थाओं में चुनाव

483 # **डा. अनिल जैनः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं में चुनाव करवाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इसके लिए चुनाव प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्राधिकरण से बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं के प्रशासन में होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): जी हां, मान्यवर । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (दिनांक 03.08.2023 को अधिसूचित) की धारा 45 निम्नलिखित कार्यों के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करता है:

(i) बहुराज्य सहकारी समिति में निर्वाचन कराना;

(ii) मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित मामलों का पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण; एवं

(iii) ऐसे अन्य कार्य जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

बहुराज्य सहकारी समितियों में निर्वाचन संचालित करने के लिए एक अंतरिम सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित किया जा चुका है ।

(ग): सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना से बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित होगा ।

*****